न्यायालय श्रीमान सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा।

वाद संख्या 950 सन 2022

ठा0 केशवदेव जी महाराज बनाम शाही ईदगाह कमेटी

महोदय,

निवेदन है कि हाल ही में राखी सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार के वाद में हुये सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में जिस प्रकार से हिन्दू शिवलिंग अवशेष मिले है उससे स्थिति स्पष्ट हो गयी है कि प्रतिवादीगण वहॉ प्रारम्भ से ही इसी कारण विरोध करते रहे है| यही स्थिति उपरोक्त मुकदमें की वादीय सम्पत्ति श्रीकृष्ण जन्म भूमि की है जो असली गर्भगृह है वहॉ पर सभी हिन्दू धार्मिक अवशेष कमल, शेषनाग, ॐ, स्वास्तिक आदि हिन्दू धार्मिक चिन्ह व अवशेष है जिनमें से कुछ को मिटा दिया गया है व कुछ को अब प्रतिवादीगण मिटाने के प्रयास में है। इस स्थिति में अगर हिन्दू अवशेषों को मिटा दिया गया तो करेक्टर आफ ~~प्रोप्रइटी चेंज~~ Property change हो जायेगा व वाद का उद्देश्य व साक्ष्य समाप्त हो जायेगें जिससे वादीगण की अपूर्णनीय व सख्त हकतल्फी होगी। [illegible]

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुये माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि वहॉ सभी का आना जाना प्रतिबन्धित(बैन) कर उस परिसर की उचित सुरक्षा के लिए प्रबन्ध किये जाये या कोई सक्षम अधिकारी वहॉ पर अवशेषों की सुरक्षा हेतु नियुक्त किया जाये। या परिसर को सील किया जाये।

अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त परिस्थितियों के मददेनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा व जिला मजिस्ट्रेट मथुरा व सी0आर0पी0एफ कमान्डेन्ट को निर्देशित किया जाए कि वे उक्त मुकदमें

की प्रश्नगत सम्पत्ति यानि शाही ईदगाह (मूल गर्भ गृह) को सील करें व परिसर के लिए सुरक्षाधिकारी नियुक्त करें और उन्हें यह निर्देश दिया जाये कि वे उक्त सम्पत्ति में बने प्राचीन हिन्दू धार्मिक चिन्हों स्वास्तिक, कमल, ॐ तथा अन्य कलाकृतियों को नष्ट न करें। तथा दि. 1.7.22 के स्थान पर उक्त [illegible] की सुनवाई करने की कृपा करें।

दिनांक 17–5–2022

<u>प्रार्थीगण / वादीगण</u>

महेन्द्र प्रताप सिंह

राजेन्द्र माहेश्वरी